प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

5 days "Working of Adarsh Police Stations"

दिनांक **23-05-2022 से 27-05-2022**

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

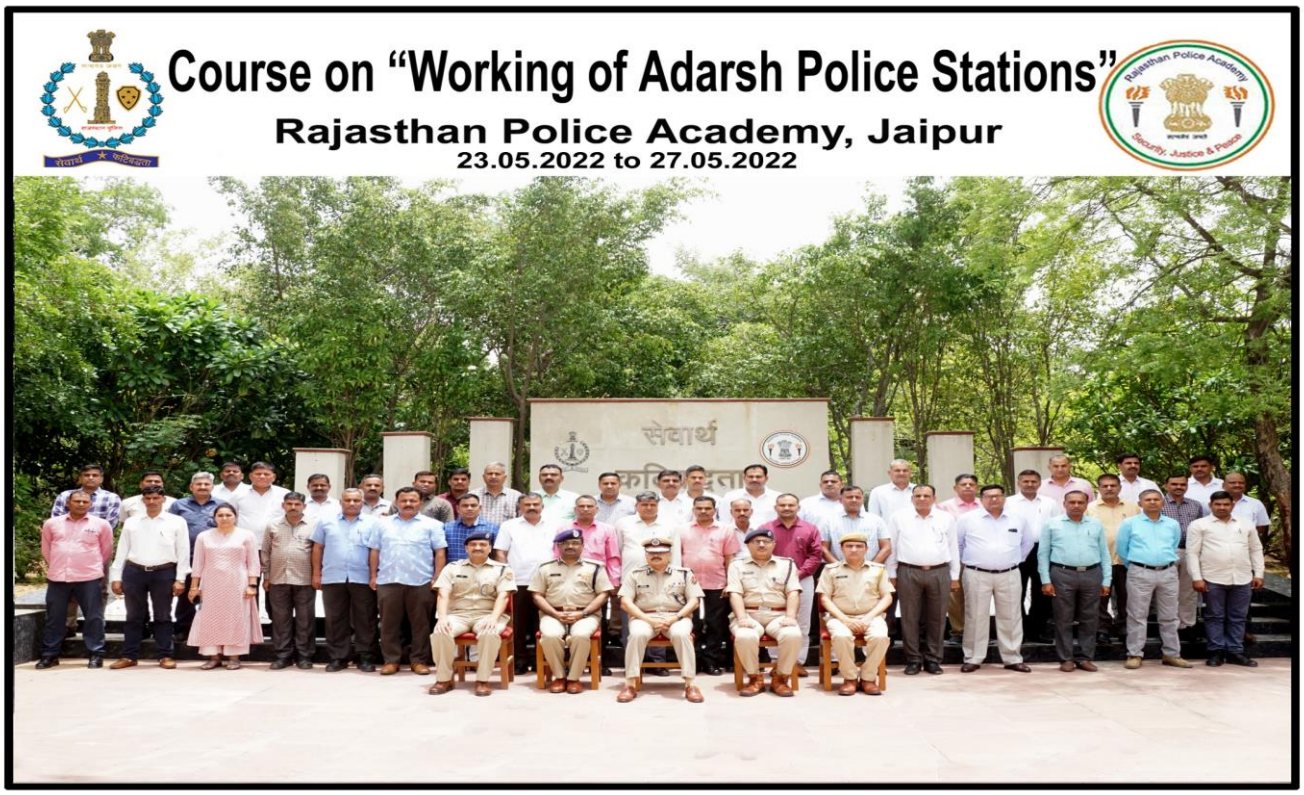

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 23-05-2022 से 27-05-2022 तक **"Working of Adarsh Police Stations"** विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम लेक्चर थियेटर में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 45 प्रतिभागियों जिसमें**-08** पुलिस निरीक्षक**,** 13 उप निरीक्षक व 24 हैड कानि.ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन श्रीमान देशमुख पारिस अनिल DCP(North) जयपुर द्वारा कोर्स का शुभारम्भ करवाया गया एवं 10:00-10:30 AM तक पंजीकरण, कोर्स डायरेक्टर द्वारा कोर्स का परिचय करवाया गया। प्रथम सत्र में श्री विनोद कुमार शर्मा सहा.पुलिस अधीक्षक**,** राजस्थान पुलिस अकादमी ने एफआईआर का पंजीकरण, सीसीटीएनएस प्रक्रियाएं, फॉर्म/दस्तावेज, जांच, पुलिस संक्षिप्त (एफआर और चार्जशीट) तैयार करना, अदालतों में जांच के परिणाम की प्रस्तुति- संबंधित निर्देश और प्रक्रिया। पुलिस स्टेशन (पीएस) में अपराध रिकॉर्ड का अद्यतन और प्रबंधन पर विस्तार से बताया। द्वितीय सत्र में श्री भारत सिंह राठौड C.A..to DCP, (North) जयपुर ने आदर्श पुलिस थानों के कामकाज के प्रतिभागियों के साथ बातचीत पर व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में श्री बालाराम चौधरी DY.SP RAC 5th Bn. Jaipur ने एफआईआर दर्ज करने से लेकर कोर्ट में सीएस/एफआर दाखिल करने और अपराध नियंत्रण तक थाने (पीएस) की संचालन प्रक्रिया। अपराध नियंत्रण विश्लेषण प्रारूप और समय रेखा पर विस्तार से बताया।

द्वितीय दिन के प्रथम सत्र श्री रिछपाल सिंह सहा.पुलिस अधीक्षक**,** राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर पर पुलिस थाना परिसर में स्वागत केंद्र, कार्यालय, मालखाना, शस्त्रागार, लॉकअप, बैरक, बरामदा और अन्य सामान्य क्षेत्र की रख-रखाव, रखरखाव और संबंधित दिशा-निर्देश। मैस प्रबंधन, थाना वाहनों का

रखरखाव, और मॉडल पुलिस स्टेशनों के लिए सामान्य निर्देश एवं द्वितीय सत्र में श्रीमति रानू शर्मा Addl. S.P.Community Policing PHQ Jaipur ने राजस्थान में सामुदायिक पुलिसिंग पहल और पीएस स्तर पर पुलिसिंग के लिए उनका उद्देश्य और महत्व- सीएलजी, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र, एसपीसी, पुलिस जनभागीता कार्यक्रम, महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना, एमपीवी, सुरक्षा सखी पर विस्तार से बताया। तृतीय सत्र में श्री मनोज रमण, (Junior Cyber Consultant) आरपीए जयपुर ने साइबर अपराधों का जवाब देना- साइबर अपराधों की रोकथाम, पंजीकरण और जांच में पुलिस की भूमिका, आईएसपी से जानकारी मांगना और डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत करना और संरक्षित करना पर व्याख्यान दिया।

तृतीय दिन के प्रथम सत्र में श्रीमति हेमलता शर्मा Dir. J.P. Foundation ने तनाव से खुशी की ओर- एक परिवर्तन विस्तार से चर्चा की। द्वितीय सत्र में श्री नितिन सारस्वत ने पुलिस कार्य और कार्य जीवन संतुलन में तनाव का प्रबंधन पर विस्तार से बताया। तृतीय सत्र में श्री रतन सिंह ZO Jaipur (Rural) ने पुलिस स्टेशन के संतरी, ओआईसी स्वागत केंद्र और ड्यूटी अधिकारियों के कर्तव्य, पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों और निदेशकों द्वारा सीसीटीवी, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन कैमरा और लैपटॉप प्रतिक्रिया का विस्तार से उपयोग पर विस्तार से बताया।

चतुर्थ दिन के प्रथम व द्वितीय सत्र में श्री जगदिश प्रसाद शर्मा Addl.SP (Retd.) ने मालखाना प्रबंधन-माननीय सर्वोच्च न्यायालय (सुंदरभाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य) के विभिन्न धाराओं के तहत सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, विभिन्न जब्त वस्तुओं और वाहनों के निपटान, मनोदैहिक पदार्थ, कीमती संपत्ति, मुद्रा के संबंध में दिशा-निर्देश और निर्देश। पुलिस थानों में हथियारों और गोला-बारूद आदि का रखरखाव पर विस्तार से बताया। तृतीय सत्र में श्री S.K.Lekhra ADP,RPA,Jaipur ने कोर्ट और पीसीएसओ में ट्रायल के रूप में गेर टॉपिक नवीनतम स्तर सबसे और प्रशस्ति पत्र एससी / एचसी पर व्याख्यान दिया गया।

पंचम दिन के प्रथम व द्वितीय सत्र में श्रीमती सुनीता मीणा, Addl. DCP (Passport), जयपुर, पुलिस आयुक्तालय ने पुलिस-पासपोर्ट सत्यापन, चरित्र सत्यापन, नौकरी के उद्देश्यों के लिए एनओसी, रैलियों के लिए अनुमति, हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन का सत्यापन, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत अधिसूचित सेवाएं और समयसीमा, अपीलीय अधिकारियों द्वारा सेवाएं और सत्यापन, महिला सुरक्षा और बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को मजबूत करना, महिला और बाल डेस्क को मजबूत करना और इसके उचित कामकाज को सुनिश्चित करना- दिशा-निर्देश पर व्याख्यान दिया।

तृतीय सत्र में श्री अशोक गुप्ता, DIGP, P&W, पुलिस मुख्यालय जयपुर ने पुलिस स्टेशन में इष्टतम मानव संसाधन प्रबंधन के लिए रणनीतियाँ- छुट्टी, कल्याण, तैनाती, परामर्श और सहायता पर व्याख्यान दिया। कोर्स के अंतिम दिवस पर प्रश्नन पत्र लिया गया और चर्चा के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। समापन सत्र के अन्त में धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात कोर्स विधिवत सम्पन्न हुआ।

हस्ताक्षर
कोर्स निदेशक